उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 01/एन0बी0/एस0बी0/2024

मदन मोहन जोशी, आयु लगभग 49 वर्ष, पुत्र श्री दत्त राम जोशी, वर्तमान तैनाती सेक्शन ऑफिसर (SI)(M) सेक्शन 5A PAC हेड क्वार्टर जाखन, पुलिस हेड क्वार्टर, देहरादून।

.....याची

बनाम्

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, देहरादून।
2. उप महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल, जिला नैनीताल।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

.

उपस्थितिः श्री हरीश अधिकारी, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः जुलाई 04, 2024

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

> *"(i) To quash the impugned order dated 22.06.2022 and order dated 02.11.2023 along with its effect and operation and after calling the entire record.*
> *(ii) To issue order or direction to expunge the adverse entry ensure recorded in the service record of the applicant and grant all the service benefits or pass any other order direction which this Hon'ble Court may deem*

fit and proper under the facts and circumstances stated in the body of the claim petition.
(iii) To issue any other order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case."

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची के अनुरोध पर उसे वर्ष, 2011 में पुलिस हेड क्वार्टर, देहरादून से जिला नैनीताल में मिनिस्ट्रियल ब्रांच में स्थानांतरित कर दिया था और उन्हें श्री जोध सिंह तोमक्याल, हेड क्लर्क के अधीन क्लर्क का काम सौंपा गया। इसके बाद याची का अटैचमेंट मार्च, 2016 में समाप्त हो गया और वह अपने उत्तराधिकारी को फाइलें सौंपने का काम पूरा करने के बाद अप्रैल, 2016 में मुख्यालय में अपने कर्तव्यों में शामिल हो गया। वर्ष 2021 में प्रतिवादी संख्या–3 ने अपने आदेश दिनांक 17–02–2021 के द्वारा श्री जोध सिंह तोमक्याल, हेड क्लर्क, याची और श्रीमती बिमला बिष्ट के आचरण के बारे में जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया, इस आरोप के साथ कि वर्ष, 2015 में याची अन्य दो व्यक्तियों के साथ हेड क्लर्क, रिकॉर्ड क्लर्क और रिकॉर्ड कांस्टेबल, अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है और सजा की फाइलें उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष रखी। प्रतिवादी संख्या 3 के आदेश पर जांच अधिकारी ने मामले की जांच की और याची, श्री जोध सिंह तोमक्याल और श्रीमती बिमला बिष्ट के बयान दर्ज किए। जांच अधिकारी ने अपने निष्कर्ष में याची एवं श्री जोध सिंह तोमक्याल को दण्ड पत्रावलियों के निस्तारण में लापरवाही का दोषी पाया तथा सुझाव दिया है कि संयुक्त निदेशक (विधि) अभियोजन की सलाह के आलोक में कोई 06 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने और किया गया कदाचार अत्यंत मामूली प्रकृति का होने के कारण दोषी कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नही है। जांच रिपोर्ट दिनांक 23–02–2022 की एक प्रति अनुलग्नक संख्या 3 है। जांच रिपोर्ट दिनांक 23–02–2022 के अनुसार प्रतिवादी संख्या–3 ने याचीकर्ता को दिनांक 01–03–2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसे 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

3. कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद याचीकर्ता ने इसका जवाब प्रस्तुत किया और आरोपों से इनकार किया और कहा कि याची को फाइलों का प्रभार नहीं सौंपा गया था और श्री तोमक्याल ने मौखिक रूप से निर्देश दिया था कि कांस्टेबल बिमला बिष्ट और कांस्टेबल प्रमोद जोशी फाइल क्लर्क के रूप में काम करना जारी रखें और याचीकर्ता केवल उन फाइलों में अनुस्मारक जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। याचीकर्ता केवल अनुस्मारक जारी करता था। याचीकर्ता कभी भी अपने स्तर पर फाइल बंद नहीं करता था

और जो फाइलें श्री तोमक्याल द्वारा दी जाती थीं, कांस्टेबल बिमला बिष्ट द्वारा ही बंद की जाती थीं। सजा की फाइल बंद करने में याचीकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी। पनिशमेंट क्लर्क का काम भी श्री तोमक्याल ने किया था और फाइल पूरी करने के बाद उसे बंद करने के लिए कांस्टेबल बिमला बिष्ट को दे दिया गया था। कांस्टेबल बिमला बिष्ट सर्किल ऑफिसर कार्यालय में इन फाइलों को बंद करने के लिए जिम्मेदार थीं। वर्ष 2016 तक नैनीताल में उनकी पोस्टिंग के दौरान याचीकर्ता के कामकाज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। अधिकारियों को जो कारण सबसे अच्छे से मालूम हैं, 2015 की अवधि की जांच लगभग 6 साल के अंतराल के बाद 2021 में शुरू की गई थी। याचीकर्ता ने कारण बताओ नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया।

4. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अत्यंत जल्दबाजी में दिनांक 22.06.2022 को आक्षेपित आदेश पारित कर दिया और जांच अधिकारी के सुझाव को भी नजरअंदाज कर दिया, इस प्रकार दिनांक 22.06.2022 का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने आक्षेपित आदेश में वही दंड पारित किया जिसका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में किया गया था। दिनांक 22.06.2022 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर याचीकर्ता ने उचित माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष वैधानिक अपील दायर की और प्रतिवादी संख्या 2 से निंदा प्रविष्टि के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

5. वर्तमान मामले में यह भी बहुत दिलचस्प है कि घटना 2015 के वर्ष में हुई थी और प्रतिवादी संख्या 3 ने याचीकर्ता को 2021 के लिए निंदा के लिए दंडित किया है। यहां उल्लेख करना भी बहुत प्रासंगिक है प्रतिवादी विभाग ने याचीकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए उसके वर्ष, 2015 के कृत्य के लिए वर्ष, 2021 के लिए निंदा की सजा दी है। उत्तरदाताओं के लिए 2015 के अधिनियम पर विचार करना उचित नहीं है जिसके लिए याचीकर्ता 2021 के वर्ष में उसे दंडित करने के लिए जिम्मेदार नहीं था, केवल उसे पदोन्नति के अवसरों से वंचित करने के लिए जो अब याचीकर्ता के लिए लंबी देरी के बाद उपलब्ध हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 11.05.2005 को एक शासनादेश जारी किया था जिसमें प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को प्रदान की गई निंदा प्रविष्टि को उसी वर्ष दी गई प्रविष्टि माना जाना चाहिए जिसमें घटना हुई थी । वर्तमान मामले में घटना 2015 की थी और याचीकर्ता को सजा 2021 में दी गई है। यदि मामले में अदालत उचित समझती है कि सजा उचित है तो शासनादेश के अनुसार निंदा की सजा दी जानी चाहिए। याचीकर्ता के वर्ष 2015 के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादी विभाग ने एस.आई. श्री नीरज कुमार और एस.आई. श्री विपीन चन्द्र पाण्डे के मामले में, जिनकी वर्ष 2014–15 की घटना की अनुशासनिक कार्यवाही के समापन पर निन्दा प्रविष्टि दिये जाने के कारण निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु प्रकरण पर विचार नहीं किया गया परन्तु जब यह तथ्य पदधारियों के संज्ञान में आया कि उनके मामले पर विचार नहीं किया गया, तब उन्होंने अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व किया और अनुरोध किया कि शासनादेश दिनांक 11–05–2005 के आधार पर उनकी निंदा प्रविष्टियों को वर्ष 2014–15 के लिए माना जाना चाहिए जब घटना हुई थी और उनके प्रतिनिधित्व पर सरकार ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2021 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को वर्ष 2014–15 की निन्दा प्रविष्टियों को दिनांक 11.05.2005 के शासनादेश के अनुरूप मानने तथा पदोन्नति हेतु विचार करने का निर्देश दिया। याचीकर्ता का मामला भी उस घटना के समान है जिसके लिए वर्ष 2015 में निंदा प्रविष्टि दी गई है। इसलिए उत्तरदाताओं को पदोन्नति के लिए याचीकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

7. राम चंदर बनाम भारत संघ और भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वैधानिक अपील पर निर्णय करते समय अपीलीय प्राधिकारी को संबंधित सरकारी कर्मचारी को भी सुनने की आवश्यकता होती है अपील में उठाए गए तर्कों से निपटने के लिए तर्कसंगत आदेश पारित करें।

8. अपीलीय प्राधिकारी ने याचीकर्ता द्वारा उठाये गये कानूनी बिन्दूओं पर ध्यान दिए बिना ही दिनांक 02.22.2023 को अपील खारिज कर दी। जिस कारण प्रस्तुत याचिका दायर करने की आवश्यकता हुई। अतः विपक्षी सं0–3 द्वारा पारित परिनिन्दा आदेश दिनांकित 22.06.2022 एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.11.2023 अपास्त किये जावे तथा याचीकर्ता की सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त किया जा कर समस्त सेवा लाभ प्रदान करने के लिए विपक्षीगण को आदेशित किया जावे।

9. जबकि विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के कथनों का खण्डन करते हुए प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन संक्षेप में प्रस्तुत किया गया कि वर्ष, 2015 में याचीकर्ता जब पुलिस कार्यालय, नैनीताल में पत्रावली लिपिक के पद पर कार्यरत थे तो इनके कार्यकाल में पत्रावली इण्डैक्स 2015 के दण्ड शीर्षक में प्रचलित कतिपय दण्ड पत्रावलियों को बन्द कराया गया, जिनकी सुरक्षित रखने की अवधि समाप्त होने पर ऐसी पत्रावलियां जिनमें किसी प्रकार की कोई अपील/रिवीजन तथा तदोपरान्त लोक सेवा अधिकरण/माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही लम्बित नहीं थी, को चिन्हित करने हेतु परीक्षण करने पर क्रमशः

पत्रावली संख्याः द–13/2015, द–53/2015 एवं द–01/2015 की विभागीय कार्यवाही पत्रावलियों में सम्बन्धित कर्मी को नियम 14(2) के अन्तर्गत ''परिनिन्दा लेख'' कारण बताओ नोटिस के निस्तारण के बिना तथा एक प्रकरण में निलम्बन काल निस्तारण की कार्यवाही कराये बिना पत्रावली इण्डैक्स में बन्द कराये जाने के प्रकरण में प्रारम्भिक जांच से दण्ड जैसी विभागीय कार्यवाही पत्रावलियों पर नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही हुए बिना पत्रावलियों को सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध नियम 14(2) के अन्तर्गत निर्गत ''परिनिन्दा लेख'' कारण बताओ नोटिस के निस्तारण के बिना गलत तरीके से अत्याधिक लापरवाही का परिचय देते हुए बन्द करा दिया गया, फलस्वरूप दण्ड सम्बन्धी पत्रावलियों पर सम्पूर्ण कार्यवाही हुए बिना प्रकरण को 06 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण इन पत्रावलियों से सम्बन्धित कर्मचारियों का अपराध सूक्ष्म होने की वजह से इन पत्रावलियों से सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का औचित्य न होने के लिये याचीकर्ता का यह कृत्य पत्रावली लिपिक जैसे महत्वपूर्ण/जिम्मेदार पद कार्यरत रहते हुए गैरजिम्मेदारी/घोर लापरवाही है। याचीकर्ता के स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाते हुए उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2022 के प्रावधान एवं उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23(2) (ख) में निहित प्रावधान के अनुसार परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधि समत् आदेश हैं।

10. याचीकर्ता वर्ष 2013 से 2017 तक पत्रावली लिपिक के पद कार्यरत थे। वर्ष 2015 में दण्ड शीर्षक में प्रचलित पत्रावली संख्या–द–13/2015, द–53/2015 एवं द–01/2015 से प्रचलित नियम 14(2) के अन्तर्गत निर्गत परिनिन्दा लेख कारण बताओ नोटिस के निस्तारण एवं निलम्बन काल निस्तारण की कार्यवाही के बिना गलत तरीके से अत्यधिक लापरवाही/गैर जिम्मेदाराना/ विवेकहीनता का परिचय देते हुये बन्द करा दिया गया। पत्रावली लिपिक के आदेश होने के उपरान्त पत्रावली लिपिक के कार्यों की जिम्मेदारी याचीकर्ता की थी, इसलिये प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रत्येक दण्ड पत्रावली को चेक किये बिना बन्द करा दिया गया। जहां तक दण्ड/जांच/विभागीय कार्यवाही पत्रावलियों का कार्य प्रधान लिपिक श्री जोध सिंह तोमक्याल द्वारा किया जाना तथा पत्रावलियों पर क्या कार्यवाही की जानी है और उन्हें कैसे और कब बन्द किया जाना है, यह उनका पदेन/ व्यक्तिगत पटल जिम्मेदारी थी के सम्बन्ध में सही है कि दण्ड/जांच/विभागीय कार्यवाही पत्रावलियों का कार्य प्रधान लिपिक जोधसिंह तोमक्याल द्वारा सम्पादित किया जाता था। लेकिन पत्रावलियों को बन्द करने का कार्य संबंधित लिपिक तथा पत्रावली लिपिक का होता है। पत्रावली लिपिक का यह दायित्व होता है कि वह सम्बन्धित लिपिक से प्राप्त पत्रावलियों

का गहनता से अध्ययन कर सर्वप्रथम पत्रावली में सही–सही पृष्ठ क्रमांक, जिस उद्देश्य पत्रावली प्रचलित की गयी है उसका निस्तारण हुआ है अथवा नहीं। जैसे यदि किसी कर्मी को दण्ड दिया गया है तो उसकी पुष्टि सम्बन्धित की चरित्र पंजिका में अंकन होने का प्रमाण पत्रावली पर अवस्थित है अथवा नहीं। ऐसे ही सम्बन्धित लिपिक द्वारा पत्रावली बन्द कराने हेतु अपनी टिप्पणी अंकित किये जाने का उल्लेख बंद होने वाली पत्रावली में चेक करने का दायित्व पत्रावली लिपिक का होता है। यदि पत्रावली किसी अपूर्ण कार्य के बिना बंद करायी जाती है, तो पत्रावली लिपिक का दायित्व होता है कि ऐसी अपूर्ण पत्रावली को बन्द न कराकर सम्बन्धित को वापस करे। फलस्वरूप, संबंधित लिपिक के साथ–साथ पत्रावली लिपिक भी जिम्मेदार होता है। जिसके लिये इस प्रकरण में तत्कालिन प्रधान लिपिक एवं याचीकर्ता को दोषी पाया गया है।

11. याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वर्णित किया है कि पत्रावली शाखा में नियुक्त म0 आरक्षी बिमला बिष्ट के द्वारा पत्रावलियों का रख–रखाव तथा विभिन्न शीर्षकों में पत्रावली खोलने व बन्द सम्बन्धी कार्य बिमला बिष्ट व अन्य सहकर्मी के द्वारा किया जाता था। यह तर्क याचीकर्ता का उ0नि0 (एम) के पद पर कार्यरत रहते हुए एक जिम्मेदार लिपिक की मानसिकता एवं विवेकहीनता का परिचायक है। दण्ड पत्रावलियों को बिना कार्यवाही पूर्ण हुए, पत्रावली इण्डैक्स में बन्द कर यह कहना कि पुलिस मुख्यालय संवर्ग का होने के कारण इस प्रकार के विभिन्न शीर्षकों में पत्रावली प्रचलित आदि की जानकारी भी कम थी और दण्ड एवं अपील तथा भवन सम्बन्धी पत्रावलियों में तत्कालीन प्रधान लिपिक श्री जोध सिंह तोमक्याल के द्वारा कार्यवाही की जाती थी, कोई ठोस तर्क नहीं है। इस सम्बन्ध में याचीकर्ता उ0नि0 (एम) जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत था, यह कहना कि जानकारी नहीं थी जो स्वंय में याचीकर्ता को दोषी परिलक्षित करता है। पत्रावली लिपिक जैसे महत्वपूर्ण सीट पर कार्यरत रहते हुये इस प्रकार का स्पष्टीकरण स्वयं में प्रश्नवाचक हो जाता है कि कान्स0 स्तर के कर्मी द्वारा बताये गये कार्य को ही किया जाता था। इस बात को बल देता है कि इनके द्वारा पत्रावली लिपिक के सीट पर रहकर मात्र खानापूर्ति की गयी, यदि पत्रावली लिपिक के कार्य की जिम्मेदारी समझकर अपने विवेक से, बन्द हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों का परीक्षण किया जाता तो पत्रावलियां तत्समय ही पकड़ में आती तथा विभागीय कार्यवाही में निर्गत कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त ही तत्समय के कार्यालयाध्क्ष के आदेश पर अंतिम आदेश पारित कराने के उपरान्त ही पत्रावलियों को बंद कराया जाना चाहिए था, जो याचीकर्ता द्वारा नहीं किया गया, फलस्वरूप यह तर्क भी तथ्यहीन/आधारहीन है। संयुक्त निदेशक (विधि) अभियोजन कार्यालय द्वारा जो विधिक राय दी गयी है वह उन दण्ड

पत्रावलियों के लिये दी गयी है जिन्हें याचीकर्ता द्वारा बिना कार्यवाही के बन्द करा दी गयी है। याचीकर्ता द्वारा बन्द की गयी पत्रावलियां दण्ड से सम्बन्धित हैं, जिसे बिना कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही याचीकर्ता द्वारा बन्द करायी गयी। फलस्वरूप, दिया गया दण्ड नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत नही है।

12. उक्त प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक जांच कराकर, याचीकर्ता को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर उसके प्रतिउत्तर में प्राप्त लिखित स्पष्टीकरण का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन करते हुए याचीकर्ता को युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही दण्डादेश निर्गत किया गया है, जो सर्वथा विधिसम्मत, न्यायोचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। वर्ष, 2013 में आदेश संख्याः व–28/2013 दिनांक 05.12.2013 द्वारा याचीकर्ता को पत्रावली लिपिक का कार्य दिया गया। लेकिन किसी पत्रावली लिपिक से इन्हें कोई चार्ज न मिलने के संबंध में इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना उच्चाधिकारियों को दिये जाने के साथ में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना कि प्रत्रावलियां बन्द करने का कार्य म0 आरक्षी बिमला बिष्ट द्वारा किया जाता था, मात्र अपने बचाव में अंकित कराया गया है, जो विधिक/न्यायिक दृष्टि से मन्य नहीं है, जब कि याचीकर्ता को इस बात से भिज्ञ होना चाहिए था कि पत्रावली लिपिक के आदेश होने के उपरान्त सम्पूर्ण पत्रावली लिपिक के कार्यों की जिम्मेदारी इनकी है, इसलिये प्रश्नगत प्रकरण जिसमें दण्ड सम्बन्धी पत्रावलियां को बन्द कराया गया है की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक दण्ड पत्रावली को चेक कर सम्पूर्ण कार्यवाही उपरान्त ही बन्द करवाया जाना चाहिए था।

13. याचीकर्ता द्वारा दण्ड की पत्रावलियां इण्डेक्स में बन्द की गयी थी जिनका रख–रखाव याचीकर्ता द्वारा ही किया जाता था। याचीकर्ता का दायित्व बनता है कि उसकी उपस्थिति में उसकी सीट पर क्या–क्या कार्य सम्पादित किया जा रहा है उसकी जानकारी रखनी चाहिये थी। उक्त दण्ड पत्रावलियों को पत्रावली इण्डेक्स में खारिज करने से पूर्व पत्रावलियों का भलि–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही पत्रावलियों को पत्रावली इण्डेक्स में खारिज करवाना चाहिये था जो याचीकर्ता द्वारा नही किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त पत्रावली में से पत्रावली संख्याः द 53/15 के पृष्ठ सं0 91 पर पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अंकित रिपोर्ट में हस्ताक्षर याचीकर्ता के प्रतीत हो रहे हैं। जिनसे स्पष्ट होता है कि उक्त पत्रावलियां याचीकर्ता के समक्ष प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा पत्रावलियों का सही से परीक्षण नहीं किया गया है। उन पत्रावलियों का परीक्षण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी याचीकर्ता की

थी। उनके साथ सहायतार्थ हेतु नियुक्त महिला कर्मी को जिम्मेदार बनाया जाना उचित नही है। मा0 न्यायालय की रूलिंग इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। श्री गोविन्द सिंह मेहता, प्रधान लिपिक पुलिस कार्यालय नैनीताल द्वारा दिनांक 16.02.2021 को प्रधान लिपिक शाखा में दण्ड शीर्षक से सम्बन्धित बंद पत्रावलियां जिनकी सुरक्षित रखने की अवधि समाप्त हो चुकी है, को चेक किये जाने के पत्रावली संख्याः द–13/2015, द–53/2015 एवं द–01/2015 जिनमें क्रमशः कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में निर्गत परिनिन्दा लेख कारण बताओ नोटिस का निस्तारण आदेश न कराने, निलम्बन काल निस्तारण न कराने, विभागीय कार्यवाही में निर्गत परिनिन्दा लेख निस्तारण के सम्बन्ध में कोई आदेश न होने तथा कार्मिकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में क्या निर्णय लिया गया, परिनिन्दा लेख कारण बताओ नोटिस का कोई आदेश न होने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही किये बिना पत्रावलियां बंद करा दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या शपथकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके पश्चात याचीकर्ता एवं तत्कालीन प्रधान लिपिक के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच प्रचलित की गयी।

14. पत्रावली संख्याः द–13/2015, द–53 /2015 एवं द–01/2015 में याचीकर्ता द्वारा बिना कार्यवाही के बन्द करा दी गयी है। याचीकर्ता द्वारा बन्द की गयी पत्रावलियां दण्ड से सम्बन्धित हैं, जिसे बिना कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही याचीकर्ता द्वारा बन्द करायी गयी। फलस्वरूप, दिया गया दण्ड नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत नहीं है। प्रकरण वर्ष, 2015 का है उस वक्त याचीकर्ता की सेवा लगभग 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। याचीकर्ता उप निरीक्षक (एम) जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहते हुये गैर जिम्मेदारी/घोर लापरवाही का परिचायक है। जिसका दायित्व था कि पत्रावलियों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक दण्ड पत्रावली को चेक कर सम्पूर्ण कार्यवाही उपरान्त ही इण्डेक्स में बन्द करवाया जाना चाहिये था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप दिनांक 16.02.2021 को श्री गोविन्द सिंह मेहता, प्रधान लिपिक पुलिस कार्यालय नैनीताल द्वारा प्रधान लिपिक शाखा में दण्ड शीर्षक से सम्बन्धित बंद पत्रावलियों जिनकी सुरक्षित रखने की अवधि समाप्त हो चुकी है, को चेक किये जाने के पत्रावली संख्याः द–13/2015, द–53/2015 एवं द–01/2015 में सम्पूर्ण कार्यवाही किये बिना पत्रावलियों बंद करा दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रकरण दण्ड पत्रावलियों से सम्बन्धित एवं गम्भीर प्रकृति का होने के कारण याचीकर्ता के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच प्रचलित की गयी। याचीकर्ता के विरूद्ध पारित दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश विधि सम्मत एवं नियमानुकूल आदेश हैं। याचीकर्ता द्वारा अनावश्यक रूप से लाभ पाने की दृष्टि से गलत तथ्यों के आधार

पर यह याचिका योजित की गयी है। याची की याचिका आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

15. याची की ओर से प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

16. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

17. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता द्वारा दण्ड पत्रावलियों को बन्द करने का कार्य नहीं किया जाता था और उक्त कार्य प्रधान लिपिक द्वारा किया जाता था तथा याचीकर्ता के सहायतार्थ म0 कान्स0 बिमला बिष्ट को भी नियुक्त किया गया था जबकि उन्हें दोषसिद्ध कर दण्डित नहीं किया गया तथा प्रधान लिपिक श्री जोध सिंह तोमक्याल व याचीकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्ण जांच निर्गत करते हुए दोषी पाया जिससे जांच अधिकारी द्वारा की गयी जांच पूरी तरह विधि विरूद्ध है। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि चूंकि जिन प्रश्नगत पत्रावलियों में कार्यवाही लम्बित थी जो क्रमशः द–13/2015, द–53/2015 एवं द–01/2015 से संबंधित थी। जिसमें संबंधित पुलिस कर्मचारीगण का अपराध सूक्ष्म होने की वजह से एवं छः वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही औचित्यहीन पायी गयी। जिस कारण से, यदि याचीकर्ता के विरूद्ध विपक्षी सं0 3 व 2 द्वारा पारित दण्डादेश यदि उचित/सही पाया जाता है तो उस दशा में भी उक्त दण्डादेश वर्ष, 2015 से प्रभावी माना जावे। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उक्त तर्को के समर्थन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक को जारी पत्र दिनांकित 31 मई, 2021 जो निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पुनः विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत कराये जाने के संबंध में जारी किया गया जिसमें द्वितीय पैरा में यह उल्लिखित किया गया है कि **''अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0 770/ XX-7/2020-01(14)2020 दिनांक 28 अगस्त, 2020 द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 1160/XX(2) /2005 दिनांक 11.05.2005 में निहित व्यवस्था अनुसार कार्मिकों को प्रदत्त निन्दात्मक प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के चरित्र पंजिका में उसी वर्ष की प्रविष्टि में रखी जाय जिस वर्ष ऐसी कार्यवाही में निर्णय लिया गया है के निर्देश दिये गये थे।''** इसी प्रकार याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य पत्र सं0 1100/XXX(2)/2005 दिनांकित 11 मई,

2005 जो प्रमुख सचिव तथा समस्त कार्यालयाध्यक्ष को जारी किया गया है जिसमें भी यह व्यवस्था दी गई है **''यदि किसी सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता प्रकाश में आये अथवा लम्बित जांच में जांचोपरान्त सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दी जाय, तो उसे कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र–पंजिका में उसी वर्ष में अंकित किया जाये जिस वर्ष में अनियमितता पाई गयी अथवा उस वर्ष में अंकित की जाय जिस वर्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है।''** याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता द्वारा अपने कर्तव्य पालन में कोई भी लापरवाही नहीं की गई जो भी लापरवाही की गई है वह प्रधान लिपिक के द्वारा की गई है। अतः याचीकर्ता के विरूद्ध पारित परिनिन्दा दण्डादेश दिनांकित 22.06.2022 एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय निस्तारण आदेश दिनांक 02.11.2023 को अपास्त किये जावे।

18. जबकि विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क दिया गया कि याचीकर्ता जब वर्ष, 2015 में पुलिस कार्यालय नैनीताल में पत्रावली लिपिक के पद पर कार्यरत था तब इनके कार्यकाल में पत्रावली इण्डेक्स 2015 में दण्ड शीर्षक की प्रचलित पत्रावलियां क्रमशः द–13/2015, द–53/2015 एवं द–01/2015 की पत्रावलियों को बन्द कराया गया। यदि याचीकर्ता द्वारा उक्त दण्ड पत्रालियों को इण्डैक्स करते हुए खारिज करने से पूर्व पत्रावलियों को भलि–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही पत्रावलियों को पत्रावली इण्डैक्स में खारिज करवाना चाहिए था जो इनके द्वारा नही किया गया है। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दौराने बहस यह भी तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में स्पष्टतः अंकित किया गया है कि उक्त पत्रावलियों में से पत्रावली सं0 द–53/2015 में पृष्ठ 91 पर पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही है अंकित रिपोर्ट में एवं प्रधान लिपिक कार्यालय के हस्ताक्षर रजिस्टर के अवलोकन से अपीलार्थी के हस्ताक्षर प्रतीत हो रहे हैं का उल्लेख किया गया है तथा याचीकर्ता द्वारा स्वयं भी जांच अधिकारी को दिये गये अपने बयानात में उक्त पत्रावली के पृष्ठ सं0 91 पर पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही है के बाद जो हस्ताक्षर किये गये है उसके संबंध में पूछे जाने पर याचीकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इन पत्रालियों पर मेरे हस्ताक्षर नही है मैरे प्रतीत नही होते यानी याचिकर्ता अपने हस्ताक्षर पहचानने के संबंध में अपने हस्ताक्षर प्रतीत नहीं होना कह रहा है जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता पृष्ठ 91 पर जो हस्ताक्षर है उससे सीधे अपने होने से इन्कार नही कर रहा है बल्कि मेरे हस्ताक्षर प्रतीत नही हो रहे हैं कहता है जो अपने लापरवाही को बचाने के लिए कहना स्पष्ट हो रहा है। अतः याचीकर्ता द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही

की गई जिस कारण याचीकर्ता के विरूद्ध प्रश्नगत जांच वर्ष 2021–22 में गठित की गयी और उसी वर्ष, 2022 परिनिन्दा लेख दण्डादेश पारित किया गया है जिस कारण से याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त पत्र में दी गई व्यवस्था से याचीकर्ता कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। अतः याचीकर्ता की याचिका खारिज की जावे।

19. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता का स्थानान्तरण वर्ष, 2011 में जनपद नैनीताल में हुआ था और वर्ष, 2013 में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानन्द दाते से प्रधान लिपिक श्री जोधसिंह तोमक्याल के द्वारा पत्र सं0 28/2013 दिनांक 05.12.2013 को याचीकर्ता के आदेशानुसार याचीकर्ता को पत्रावली लिपिक हेतु आदेश करवाये गये। अब जहां तक याचीकर्ता के अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि मुझे किसी लिपिक के द्वारा पत्रावलियों का चार्ज नही दिया गया विश्वसनीय नही है। जब कि याचीकर्ता श्री मदन मोहन जोशी द्वारा आगे अपने बयानात में यह भी स्वीकार किया गया है ''**श्री तोमक्याल द्वारा मुझे मौखिक रूप से कहा गया कि पत्रावली लिपिक शाखा में पूर्व से पत्रावली के सहायतार्थ कार्यरत म0 कान्स0 बिमला बिष्ट और कान्स0 प्रमोद जोशी द्वारा पूर्व की भांति पत्रावली लिपिक का कार्य करते रहेंगे। उनके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न शीर्षकों की पत्रावलियों में रिमान्डर बनाते रहना।**'' याचीकर्ता के उपरोक्त बयानात से स्पष्ट है कि याचीकर्ता को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के द्वारा पत्रावली लिपिक के पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिस कारण से याचीकर्ता द्वारा पत्रावली लिपिक का कार्य किया जाता रहा। यदि याचीकर्ता द्वारा पत्रावलियां इण्डैक्स करने अथवा प्रकरण बन्द करने से संबंधित शीर्षकों की जांच किये बिना पत्रावलियां प्रधान लिपिक को नहीं दी जाती थी तो उस दशा में यदि पत्रावली द–53/1015 के पृष्ठ 91 पर याचीकर्ता के हस्ताक्षर नही थे तो याचीकर्ता अपने साक्ष्य में यह स्वीकार नही करता कि, **जो मेरे प्रतीत नहीं होते हैं ।** साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचीकर्ता द्वारा स्पष्टतः यह भी नही कहा कि यह हस्ताक्षर उनके सहायतार्थ बिमला बिष्ट एवं अन्य कान्स0 प्रमोद जोशी के हैं। ऐसी स्थिति में निःसन्देह यदि याचीकर्ता द्वारा दण्ड पत्रावलियों की गम्भीरता से जांच की गयी होती तो पत्रावलियों पर पृष्ठ, क्रमांक नही होना तथा प्रधान लिपिक की आख्या न होने पर प्रश्नगत पत्रावलियां प्रधान लिपिक को सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु वापस की जा सकती थी जो याचीकर्ता द्वारा नही की गई। जिस कारण से निःसन्देह याचीकर्ता द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में दण्ड पत्रालियों में बिना सम्पूर्ण कार्यवाही को गलत तरीके से बन्द करवाये जाने में बरती गयी लापरवाही से संबंधित प्रश्नगत पत्रावलियों में आरोपित /अपराध कारित पुलिस कर्मचारीगण

साक्ष्य दण्ड से वंचित हो गये हैं। यहां पुनः यह भी उल्लेखिनीय है कि याचीकर्ता व अन्य प्रधान लिपिक श्री जोधसिंह तोमक्याल के द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं विवेकहीनता से संबंधित प्रकरण वर्ष 2021–2022 में प्रकाश में आया है और जिस कारण तदोपरान्त ही विभागीय जांच प्रारम्भ की गयी और याचीकर्ता को जिस वर्ष में उनके द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में की गयी लापरवाही/अनियमितता पाया जाना उजागर हुआ है, की विधिवत जांच के बाद वर्ष, 2022 में अपने कर्तव्य निर्वहन में की गई लापरवाही हेतु परिनिन्दा लेख से दण्डित किया गया है और वर्ष 2015 में जिन अन्य पुलिस कर्मचारीगण की पत्रावलियां याचीकर्ता एवं अन्य प्रधान लिपिक जोधसिंह तोमक्याल के द्वारा लापरवाही से बन्द की गयी थी वह लापरवाही एवं अनियमितता वर्ष 2021–22 में अन्य लिपिक के आने के बाद प्रकाश में आई यानि जिस कारण से याचीकर्ता उपरोक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्था से लाभवान्वित नही हो पायेगा तदनुसार विपक्षी सं0 2–3 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध पारित परिनिन्दा दण्डादेश आदेश क्रमशः दिनांकित 02.11.2023 एवं 22.06.2022 में कोई भी त्रुटि नही है। जिस कारण से याचीकर्ता का यह कथन कि विपक्षीगण द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जावे तथा सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त कर सभी सेवा लाभ प्रदान किए जावे, न्यायोचित नही है। याचीकर्ता की याचिका बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीकर्ता मदन मोहन जोशी की याचिका बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः जुलाई 04, 2024 (राजेन्द्र सिंह)
देहरादून। उपाध्यक्ष (न्यायिक)

KNP/RENU